उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2014-2015

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2014-2015

विषय- सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1 - 2
2	प्रशासन	3 - 4
3	मार्ग विकास	5
4	मार्ग विकास नीति	6 - 7
5	महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाऐं एवं सेतु कार्य	8 - 16
6	भवन विंग संगठन एवं विवरण	17
7	विश्व बैंक पोषित परियोजना/ए0डी0बी0	18 - 20
8	राष्ट्रीय मार्ग	21 - 22
9	अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण	23 - 24
10	ई-गवर्नेन्स	25
11	प्रशिक्षण कार्यक्रम	26
12	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम	27 - 29
13	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	30 - 31
14	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	32 - 33
15	महत्वपूर्ण विकास योजनाओं एवं वित्तीय आवश्यकताओं सम्बन्धी तालिकायें	34 - 43
16	लो0नि0वि0 संगठन की संरचना (परिशिष्ट-अ,ब,स,द)	44 - 47

7	अधीक्षण अभियन्ता(वि0 / यां0)	4	2	6
8	वरिष्ठ वास्तुविद	2	-	2
9	अधिशासी अभियन्ता(सिविल)	222	144	366
10	अधिशासी अभियन्ता(वि0 / यां0)	21	7	28
11	वास्तुविद	9	-	9
12	सहायक वास्तुविद	17	-	17
13	सहायक अभियन्ता(सिविल)	942	283	1225
14	सहायक अभियन्ता(वि0 / यां0)	130	29	159
15	अवर अभियन्ता (सिविल)	3065	1111	4176
16	अवर अभियन्ता (विद्युत)	236	86	322
17	अवर अभियन्ता (यांत्रिक)	318	67	385
18	अवर अभियन्ता (प्राविधिक)	276	191	467
19	मानचित्रकार	193	-	193
20	रेखाकार	189	19	208
21	वास्तुविद मानचित्रकार	6	64	70
22	वास्तुविद सहायक	15	6	21
23	कनिष्ठ रसायनज्ञ	12	12	24
24	अन्य अराजपत्रित कर्मचारी	23512	16723	40235
	योग	29213	18824	48037

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गो का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में दिनांक 31.3.13 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गो की कुल लम्बाई 201093.923 कि0मी0 है। लो0नि0वि0 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के मार्गो सहित मार्च 2013 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् हैं:-

क्रम सं0	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2010 तक	31.3.2011 तक	31.3.2012 तक	31.3.2013 तक
1	2	6	6	6	6
1	राष्ट्रीय मार्ग	6684.900	6684.900	6684.900	7550.000*
2	राज्य मार्ग	7957.083	7957.083	7957.083	7703.387
3	प्रमुख जिला मार्ग	7307.326	7548.633	7548.633	7548.761
4	अन्य जिला मार्ग	32983.000	33915.00	37373.000	39244.813
5	ग्रामीण मार्ग	119320.000	127668.793	134539.386	139046.962
	योग:-	**174251.308**	**183774.409**	**194103.002**	**201093.923**

टिप्पणी:-

* इसमें 3962.00 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को प्रगति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए नई मार्ग विकास नीति प्रस्तावित है, जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को भी अपनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

- महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क एवं नॉन–कोर नेटवर्क मार्ग सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे क्वैरी अथवा बार्डर रोडस् हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण के विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।
- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीकी का अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारू वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिये प्रदेश में पूर्व निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का रख–रखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है। ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के समुचित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार "उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013" प्रदेश में शासनादेश दि0 22 नवम्बर, 2013 द्वारा लागू की गयी है। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं:–

- निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गो पर सतह नवीनीकरण कार्य सामान्यतः 08 वर्ष के चकानुकम के अनुसार किया जायेगा।
- समस्त विभागों द्वारा सम्पर्क मार्गो की इनवेन्ट्री कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय–समय पर अपडेट किया जायेगा।
- सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण हेतु मार्गो का चयन रोड कन्डीशन इन्डेक्स, स्थानीय आवश्कताओं एवं जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किया जायेगा।
- विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित चकानुकम के अनुसार नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना माह मार्च तक अन्तिम करली जायेगी।
- विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह मार्च तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।
- स्वीकृत कार्यो पर पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जायेगी जिससे टाईम ओवररन तथा कस्ट ओवररन न हो।
- प्रत्येक विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गो को क्लब करते हुये आवश्कतानुसार बैच मेन्टीनेन्स कान्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।
- नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह एवं शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाऐं

मार्ग कार्यः-

1. ग्रामीण मार्ग/लघु सेतु के निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना :-

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गई इस योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु इस योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाते है। इस योजनान्तर्गत आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 तक स्वीकृत कार्यो पर नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है। आर0आई0डी0एफ0-8 व 9 योजनान्तर्गत कोई भी मार्ग स्वीकृत नही किया है। वर्ष 2005-06 में आर0आई0डी0एफ0-10, 11 व वर्ष 2007-08 में आर0आई0डी0एफ0-12, वर्ष 2008-09 में आर0आई0डी0एफ0-14, वर्ष 2009-10 में आर0आई0डी0एफ0-15, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में आर0आई0डी0एफ0-16, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में आर0आई0डी0एफ0-17, वर्ष 2012-13 में आर0आई0डी0एफ0-18 व वर्ष 2013-14 में आर0आई0डी0एफ0-19 योजनान्तर्गत मार्ग कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है। आर0आई0डी0एफ0-2 से आर0आई0डी0एफ0-15 तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में आर0आई0डी0एफ0-16 से 19 योजनान्तर्गत कार्य प्रगति में हैं। आर0आई0डी0एफ0-16 से 19 योजनान्तर्गत निरस्तीकरण के उपरान्त कुल 2430 कार्य निर्माणाधीन हैं, जिनकी वास्तविक लागत ₹ 1409.01 करोड़ है। माह मार्च, 2014 तक ₹ 1070.02 करोड़ व्यय कर 1663 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में आर0आई0डी0एफ0 योजना में चालू कार्यो हेतु पुनर्विनियोग/समर्पण के उपरान्त ₹ 262.54 क़रोड़ एवं ग्रामीण मार्गो के नये कार्यो हेतु ₹ 0.50 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यो हेतु ₹ 0.45 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 263.49 करोड़ की बजट व्यवस्था थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आर0आई0डी0एफ0-19 योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 05 ग्रामीण मार्गो जिनकी लागत ₹ 2.1011 करोड़ है तथा जनपद सम्भल में सुदृढ़ीकरण का 01 कार्य जिसकी लागत ₹ 8.0779 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 10.1790 करोड़ लागत के कार्यो की प्रशासनिक अनुमोदन/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में आर0आई0डी0एफ0 योजना में चालू ग्रामीण मार्ग कार्यो हेतु ₹ 300.00 करोड़ एवं नये ग्रामीण मार्ग कार्यो हेतु ₹ 1000.00 की प्रतीकात्मक व्यवस्था तथा चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यो हेतु ₹ 83.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इस धनराशि से लगभग 600 कि0मी0 ग्रामीण मार्गो के नव निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014-15 में लगभग 80 कि0मी0 लम्बाई में महत्वपूर्ण प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य भी स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं।

2. जिला मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने की योजनाः-

राज्य सरकार प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन मार्ग से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय(लखनऊ, रामपुर, औरैया, कानपुर, मुरादाबाद, इटावा, बाराबंकी, रमाबाईनगर, फिरोजाबाद, फैजाबाद, गाजियाबाद, आगरा, बस्ती, उन्नाव, मथुरा, संतकबीरनगर, झांसी, पंचशीलनगर, गोरखपुर, उरई, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, चन्दौली, मेरठ, शाहजहॉपुर, वाराणसी, बरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद एवं ललितपुर) 4 लेन चौड़े राष्ट्रीय राज मार्ग से पूर्व से

भवन विंग संगठन एवं विवरण

1- भवन विंग संगठनः-

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा सम्पादित किया जाता है। मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता "भवन" तैनात है।

2- भवन कार्यों का विवरण

(अ) भवन निर्माणः-

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, विश्व बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा लो0नि0विभाग की स्वंय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यो का वित्तीय प्राविधान लो0नि0वि0 के अथवा सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक में होता है।

(ब) भवन अनुरक्षणः-

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवनों का अनुरक्षण कार्य कराया जाता है। राजभवन, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ एवं लोक सेवा आयोग, लखनऊ के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, लो0नि0वि0 की स्वंय की सभी आवासीय कालोनियों के रख-रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता हैं। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो0नि0वि0 के अन्य सभी भवनों तथा सर्किट हाउस व निरीक्षण भवनों के रख-रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में मा0 उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख-रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

लो0नि0वि0 के आवासीय एवं अनावासीय भवनों से सम्बन्धित कार्यो हेतु वर्ष 2013-14 में कुल बजट प्राविधान ₹ 118.5622 करोड़ था, जिसमें लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आयोजनागत कार्यो हेतु ₹ 49.50 करोड़ एवं आयोजनेत्तर कार्यो हेतु ₹ 69.0622 करोड़ के प्राविधान से भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव आदि का कार्य कराया गया।

भवन कार्यो हेतु वर्ष 2014-15 के लिये कुल बजट ₹ 117.3117 करोड़ प्रस्तावित हैं, जिसमें आयोजनेत्तर कार्य हेतु ₹ 77.3117 करोड़ तथा आयोजनागत कार्यो हेतु ₹ 40.00 करोड़ का है। इस धनराशि से भवनों के अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य कराये जाने है।

विश्व बैंक पोषित परियोजना

1. उ0प्र0 स्टेट रोडस् प्राजेक्ट के अवशेष कार्य:-

प्रदेश के कोर नेटवर्क की लगभग 3527 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के उच्चीकरण एवं वृहद रखरखाव हेतु उ0प्र0 सरकार को विश्व बैंक (आई0बी0आर0डी0) से भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृत हुआ था।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹ 2,95,200.00 लाख (यू0एस0डॉलर 615 मिलियन) है तथा इसमें ऋण का अंश लगभग ₹ 2,34,200.00 लाख (यू0एस0डॉलर 488 मिलियन) हैं। यह परियोजना अप्रैल, 2003 से प्रभावी हुयी थी और इसकी अवधि 5½ वर्ष थी। परियोजना समाप्ति की मूल तिथि 31.12.2008 थी, जिसे परियोजना की आवश्यकता को देखते हुये विश्व बैंक द्वारा दि0 31.12.2010 तक बढ़ायी गयी। यह परियोजना दि0 31.12.2010 को पूर्ण हो गयी है।

परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत उच्चीकरण के सभी पैकेजेस (408 कि0मी0) पर कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार वृहद रख-रखाव के 44 पैकेजस एवं 03 पहुँच मार्ग (2156 कि0मी0) पर कार्य हो चुका है। 03 वृहद सेतुओं का भी कार्य पूर्ण हो गया है। 01 रेल उपरिगामी सेतु का कार्य भी पूर्ण है।

01 वृहद सेतु व उसके पहुँच मार्ग का कार्य परियोजना की अवधि में पूर्ण नहीं हो सका है, जिसे प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों से पूर्ण कर लिया गया है।

परियोजना पर मार्च, 2013 तक ₹ 252599.91 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी थी तथा 2563 कि0मी0 लम्बाई के मार्गों पर वृहद रख-रखाव एवं उच्चीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के अवशेष कार्यो हेतु ₹ 68.15 करोड़ की धनराशि का शुद्ध बजट प्राविधान था। जिसके सापेक्ष पूर्ण धनराशि का व्यय कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु परियोजना के अवशेष कार्यों के अन्तिमीकरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधनों से ₹ 20.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

2. उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना (विश्व बैंक परियोजना) :-

परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट सचिव, मार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2013 में प्रेषित की गयी, जिसे दिनांक 08.08.2013 में परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्कीनिंग कमेटी की बैठक में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण दिनांक 13.09.2013 में किया गया। स्कीनिंग कमेटी ने इस बात पर सहमति दी की 400 मिलियन यू0एस0 डालर की विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर दिया जाए।

1- परियोजना में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के रोड मैनेजमेन्ट सिस्टम को बनाया जाए।

2- परियोजना में चिन्हित मार्गो के बाद में रख-रखाव के लिए समुचित मैकेनिज़म स्थापित की जाए।

3- परियोजना के अन्तर्गत प्रक्योरमेन्ट हेतु ई-प्रक्योरमेन्ट लागू किया जाए एव लोक निर्माण विभाग प्रक्योरमेन्टस् में भी ई-प्रक्योरमेन्ट का वृहद प्रयोग किया जाए।

4- विभिन्न प्रान्तो में लागू विभिन्न कियान्वयन मॉडल्स का अध्ययन किया जाए एवं समयक विचारोपरान्त निर्णय लेकर परियोजना के कियान्वयन के लिए समीचीन संगठनात्मक स्ट्रक्चर पर निर्णय लिया जाए।

5- ई-प्रोजेक्ट/अनुबन्ध मैनेजमेन्ट टूल्स् विकसित किये जाए एवं लोक निर्माण विभाग में इनका वृहद प्रयोग किया जाए।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण के हस्ताक्षर तक कम से कम सिविल कार्यो के 30 प्रतिशत कार्यो की स्वीकृति प्राप्त कर निविदायें आमंत्रित कर कार्य निर्माण संस्थाओं को (ठेकेदारों) को एवार्ड हो जाने चाहिए। परियोजना अक्टूबर, 2014 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम से कम ₹ 1300.00 करोड़ के सिविल कार्य को एवार्ड करना होगा। अतः ₹ 1300.00 करोड़ के सिविल कार्यो को एवार्ड करने के बाद निर्माण संस्थाओं का मोबिलाईजेशन एवं अन्य अग्रिमों के भुगतान हेतु प्रस्तावित कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यों हेतु कम से कम ₹ 100.00 करोड़ की आवश्यकता वर्ष 2014-15 में होगी।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोर रोड नेटवर्क परियोजना के प्रस्तावित मार्ग निर्माण कार्यों पर होने वाले व्यय के लिए नये कार्यो हेतु (एकमुश्त व्यवस्था) मद में ₹ 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान एवं सलाहकार संस्था की नियुक्ति हेतु ₹ 5.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

3. उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना (एशियन डेवलपमेन्ट बैंक परियोजना):-

प्रदेश के 1138 कि0मी0 लम्बाई के प्रमुख जिला मार्गो के उच्चीकरण हेतु प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2013 में सचिव, मार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। मार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट को दिनांक 14.10.2013 में आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है। दिनांक 29.11.2013 की स्कीनिंग कमेटी की बैठक में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परियोजना में आच्छादित मार्गों को लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित करके परियोजना एशियन डेवलपमेन्ट बैंक को भेज दी गयी है। एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के मिशन 4-5 सितम्बर, 2013 की निर्गत एडमेमोयर में यह अंकित है कि इस परियोजना में आच्छादित आधे मार्गों की डी0पी0आर0 बनाने हेतु कन्सलटेन्ट की नियुक्ति मार्च/2014 तक प्रस्तावित है।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मापदण्डों के अनुसार एशियन विकास बैंक से ऋण के हस्ताक्षर तक कम से कम सिविल कार्यो के 30 प्रतिशत कार्य निर्माण संस्थाओं को एवार्ड हो जाने चाहिए। यह परियोजना वर्तमान में अक्टूबर/2014 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 1200.00 करोड़ के सिविल कार्य निर्माण संस्थाओं को एवार्ड किया जाना प्रस्तावित है, अन्यथा यह परियोजना प्रस्तावित समय में प्रारम्भ नही हो सकेगी। अतः

₹ 1200.00 करोड के सिविल कार्यो के मोबिलाईजेशन एवं अन्य अग्रिमों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में वाह्य सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत नवीन सिविल कार्यों हेतु ₹ 75.00 करोड़ के बजट का प्राविधान आवश्यक है।

अतः वित्तीय वर्ष 2014-15 में उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना के प्रस्तावित मार्ग निर्माण परियोजना पर होने वाले व्यय के लिए नये कार्यो हेतु (एकमुश्त व्यवस्था) मद में ₹ 75.00 करोड़ एवं सलाहकार संस्था की नियुक्ति हेतु ₹ 4.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 48 राष्ट्रीय मार्ग है। जिनकी कुल लम्बाई वर्तमान में 7550 किमी0 है। इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 3588 किमी0 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 3962 किमी0 है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 के लिये उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति निम्नवत है :-

क0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन (करोड़ में)	31/03/2014 तक व्यय (करोड़ में)
1	2	3	4
1	आयोजनागत	311.14	292.41
2	आयोजनेत्तर	140.00	149.32
	योग	451.14	441.73

वर्ष 2013-14 की भौतिक प्रगति निम्नवत है :—

क0 सं0	आइटम	वित्तीय वर्ष 2013-14 का लक्ष्य (किमी0)	31.03.2014 तक उपलब्धि (किमी0)
1	2	3	4
1	एक लेन/इन्टरमीडिएट लेन से दो लेन चौड़ीकरण	14.00	बीएम-14.00 एसडीबीसी-7.00
2	दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण	7.122	7.122
3	कमजोर दो लेन भागों का सुदृढ़ीकरण	80.00	बीएम-82.00 एसडीबीसी-11.00
4	सेतुओं का निर्माण	1 नं0	1 नं0
5	राइडिंग क्वालिटी का सुधार	200.00	216.00
6	रिनुअल (मूल कार्य)	40.00	39.00
7	पी0आर0 (नवीनीकरण)	250.00	255.00

राष्ट्रीय मार्गो पर परियोजनाओं का विवरण

- वर्ष 2013-14 में दिनांक 31.03.2014 तक 255 कि0मी0 नवीनीकरण के अतिरिक्त 280 कि0मी0 एस0डी0बी0सी0, 317 कि0मी0 बिटुमिन मैकेडम, 94 कि0मी0 डब्लू0एम0एम0 एवं 14 कि0मी0 जी0एस0बी0 का कार्य कराया जा चुका है।
- भारत सरकार द्वारा मूल कार्यो की वार्षिक योजना (आयोजनागत कार्य) वर्ष 2013-14 हेतु लागत ₹ 674.40 करोड़ के अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 504.00 करोड़ अनुमोदित की गयी। जिसके सापेक्ष दिनांक 31.03.2014 तक ₹ 587.00 करोड़ के आगणन मंत्रालय को प्रेषित किये गये एवं मंत्रालय द्वारा लागत ₹ 353.00 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी है। नवीनीकरण/आई0आर0 क्यू0पी0 (आयोजनेत्तर) कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा ₹ 434.00 करोड़ की अनुमोदित योजना के सापेक्ष 636.00 कि0मी0 लम्बाई में लागत ₹ 434.00 करोड़ के आगणन मंत्रालय को प्रेषित किये गये तथा मंत्रालय द्वारा ₹ 434.00 करोड़ की स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार द्वारा एन0एच0डी0पी0-फेज-4-बी0 के अन्तर्गत रा0मा0 सं0-28सी0, 29ई0 एवं 233 को दो लेन विद पेव्डशोल्डर स्तर तक विकसित किये जाने हेतु लागत ₹ 2435.13 करोड़ की स्वीकृतियॉ निर्गत की गयी थी। जिसमें रा0मा0 सं0-28सी0 (बाराबंकी-बहराईच-नानपारा-रूपईडिहा सेक्शन) के विकास हेतु 3 फेज के कार्यो एव रा0मा0 सं0-29ई0 (सोनौली-गोरखपुर मार्ग) के एक कार्य हेतु निविदा दरों के आधार पर मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति ₹ 1574.97 करोड़ की निर्गत है।

वर्ष 2014-2015

- मूल कार्यो हेतु वार्षिक योजना वर्ष 2014-2015 हेतु लागत ₹ 700.00 करोड़ की अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। वर्ष 2014-2015 हेतु नवीनीकरण कार्यों की 439 कि0मी0 लम्बाई में लागत ₹ 267.00 करोड़ की योजना मंत्रालय को प्रेषित की गयी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त मदों के अनुमोदन किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

ई-गवर्नेन्स

लोक निर्माण विभाग लम्बे समय से मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहा है विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय वेब साईट विकसित की गयी है। जनपदों में स्थित खण्डों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों एवं आवंटित धनराशि को सर्वसुलभ करने हेतु सूचनायें अपलोड कर दी जाती है। विभागीय वेबसाइट विकसित कर दी गयी है एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपडेशन भी किया जा रहा है। वेबसाइट पर विभागीय स्वीकृतियों की सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गयी है।

लोक निर्माण विभाग के विकास एवं प्राथमिकता कार्यक्रमों की गहन समीक्षा से सम्बन्धित सूचनाओं को मुख्यालय स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर खण्डों/वृत्तों/क्षेत्रों से प्राप्त करना होता है। वर्तमान में इन सूचनाओं को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु मुख्यालय स्तर के सभी कार्यालयों को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है, तथा भविष्य में भी सूचनाओं के ऑनलाइन संकलन व विश्लेषित किये जाने की व्यवस्था किया जाना भी प्रस्तावित है।

वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटर सम्बन्धित हार्डवेयर अधिकतर कार्यालयों में स्थापित कर दिया गया है तथा सॉफ्टवेयर डिजाइन का कार्य वेब बेस्ड तकनीक पर पुनः डिजाइन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में लगभग सभी खण्डों में कम्प्यूटर उपलब्ध हो गये है तथा यह कम्प्यूटर एकल रूप से कार्य कर रहे है। विभाग में लगभग 250 अधिकारी/कर्मचारी धीरे-धीरे फ्रेन्डली हो गये है तथा दैनिक कार्य में कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहे है।

ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से एक करोड़ से अधिक लागत की निविदायें चयनित क्षेत्रों में प्राप्त किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्ष 2014-15 में अयोजनागत मद में सूचना प्रोद्यौगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु ₹ 0.50 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षणों से अधिकारियों/कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्प्यूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यो का सम्पादन कर सकेंगे। अध्ययन तकनीकी ज्ञान, विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार हेतु, मुख्य रूप से निम्न संस्थानों द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा।
2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली।
3. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
4. राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ।
5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली।
6. नेशनल काउन्सिल फॉर सीमेण्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, हैदराबाद।
7. उत्तर प्रदेश प्रशासन एंव प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
8. इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज, हैदराबाद।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी। सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश में ही सीमित न रखकर नेपाल, यमन, ईराक आदि तक बढ़ाये हैं ।

1- वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में निम्न कार्य किये गये/ प्रस्तावित है :-

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क सं	विवरण	वर्ष 2012-13			वर्ष 2013-2014			वर्ष 2014-2015		
		निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	कुल कार्य	निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	कुल कार्य	निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	कुल कार्य
1	लक्षित कार्यभार	1000.00	200.00	1200.00	1100.00	0.00	1100.00	1300.00		1300.00
2	प्राप्त कार्यभार	952.94	20.49	973.43	986.00	0.00	986.00	168.27		168.27
3	पूर्ण किये जाने वाले लक्षित कार्यो की संख्या	100		100	100		100	101		101
4	पूर्ण कार्यो की संख्या (03/2014 तक)	71		71	90		90			

2- सेतु निगम द्वारा वर्ष 2012-13 में निक्षेप कार्यो के 100 सेतुओं को पूर्ण करते हुये कुल ₹ 1000.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 71 सेतुओं को पूर्ण करते हुये लगभग ₹ 950.50 करोड़ का व्यय किया गया है। वर्ष 2013-14 में 90 सेतुओं को पूर्ण करते हुए कुल ₹ 986.00 करोड़ का व्यय किया गया है। इस समय निगम के पास निविदा कार्य नहीं है। वर्ष 2014-15 में वर्तमान में निर्माणाधीन 255 कार्यों में से 101 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हुए निक्षेप कार्यो पर ₹ 1300.00 करोड़ का व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह मई/2014 तक ₹ 168.27 करोड़ का व्यय किया गया है। 2014-15 में 101 सेतुओं को पूर्ण करने एवं प्रस्तावित व्ययभार का विवरण निम्न प्रकार है:-

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2014-15 निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय
1	विश्व बैंक (लो0नि0वि0)				
2	नाबार्ड - 15	3			
3	नाबार्ड - 16	1			
4	नाबार्ड - 17	7			
5	नाबार्ड-19	6			
6	आयोजनागत(राज्य सेक्टर)	41		1	
7	राज्य सेक्टर अनुदान-58	1			
8	रेलवे सुरक्षा निधि	36			
9	त्वरित आर्थिक विकास योजना	6			
	योग निक्षेप कार्य	**101**		1	

3- वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 255 कार्य प्रगति पर है। सेतु निगम द्वारा वर्ष 2013-14 में 90 सेतुओं को पूर्ण कर लगभग ₹ 986.00 करोड़ व्यय किया गया है।

(धनराशि करोड़ में)

क0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2013-2014 में उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्ययभार
1	आयोजनागत (राज्य सेक्टर)	138	266.88
2	रेलवे सुरक्षा निधि	99	409.00
3	नाबार्ड - 14	1	0.10
4	नाबार्ड - 15	10	16.46
5	नाबार्ड - 16	6	5.77
6	नाबार्ड - 17	24	82.82
7	नाबार्ड - 19	27	9.52
8	त्वरित आर्थिक विकास योजना	14	28.90
9	राज्य सेक्टर (अनुदान 58)	7	56.36
10	विश्व बैंक (लो0नि0वि0)	1	2.13
11	व्यापार विकास निधि	3	0.41
12	अन्य निक्षेप	15	107.65
	योग निक्षेप कार्य	**345**	**986.00**

4- **विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न कार्य प्रगति पर हैं :-**

4.1- वर्तमान में कुल 80 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण जिनकी कुल लागत ₹ 2762.84 करोड़ है, निर्माणाधीन है, इनमें से 68 रेल उपरिगामी (लागत ₹ 2191.70 करोड़) सहभागिता के आधार पर 8 रेलउपरिगामी सेतु लागत ₹ 224.52 करोड़ टर्म डिपाजिट के आधार पर निर्मित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 10 नं0 आर0ओ0बी0 लागत ₹ 249.36 करोड़ के पूर्ण किये गये है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल 26 रेलवे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया गया है, जिसमें 03 रेल उपरिगामी सेतु अन्य निक्षेप के है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 36 रेल उपरिगामी सेतु पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4.2- नाबार्ड-14 योजना के अन्तर्गत 33 कार्यों की स्वीकृति लागत ₹ 93.58 करोड़ के लिए प्राप्त हुई थी। इन सभी कार्यों को विगत वर्ष तक पूर्ण कर लिया गया है।

4.3- नाबार्ड-15 के अन्तर्गत कुल 25 सेतु लागत ₹ 154.55 करोड़ स्वीकृत किये गये थे जिनमें से 24 कार्य लागत ₹ 152.51 करोड़ के निगम द्वारा निर्मित किये जाने थे। इनमें से 18 कार्य विगत वर्षो तक पूर्ण कर लिये गये हैं, शेष 06 कार्य प्रगति में है। इसमें से 03 कार्यो को वर्ष 2014-15 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

4.4- नाबार्ड-16 के अन्तर्गत कुल 58 कार्य ₹ 146.65 करोड़ के स्वीकृत हुए थे जिनमें से 27 कार्य लागत ₹ 105.25 करोड़ के निगम द्वारा निर्मित किये जाने थे। इनमें 26 कार्य विगत वर्षों में पूर्ण कर लिये गये तथा शेष 01 कार्य वर्ष 2014-15 में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित है।

4.5- नाबार्ड-17 में के अन्तर्गत कुल 46 कार्य ₹ 510.43 करोड़ की स्वीकृति निर्गत हुई थी जिनमें से निगम द्वारा 38 कार्य लागत ₹ 501.75 करोड़ के निर्मित किये जाने थे। इनमें से 21 कार्य विगत वर्षों में पूर्ण कर लिये गये है शेष 17 कार्यों में से वर्ष 2014-15 में 07 सेतुओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.6- नाबार्ड-19 योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013-14 में कुल 27 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनकी कुल लागत ₹ 373.53 करोड़ है। सभी कार्य चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दिये गये है अथवा आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014-15 में 06 कार्यो को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4.7- त्वरित विकास योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013-14 में 14 कार्य प्रगति मे थे जिसकी स्वीकृति ₹ 296.92 करोड़ की है। वर्ष 2013-14 में 1 सेतु पूर्ण कर लिया गया हैं। 06 सेतुओं को वर्ष 2014-15 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4.8- अन्य निक्षेप के अर्न्तगत 15 कार्य वर्ष 2013-14 में प्रगति मे थे जिनकी कुल लागत ₹ 307.89 करोड़ थी तथा इनमें से 06 कार्यों को वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया गया है। वर्ष 2014-15 में 02 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

4.9- राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 138 सेतु प्रगति में थे, जिसकी लागत ₹ 2707.71 करोड़ थी। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2013-14 में 43 सेतुओं को पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2014-15 में 41 सेतु पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। माह मई 2014 तक 01 सेतु पूर्ण कर लिया गया।

5- **<u>लाभ/ हानि की स्थिति -</u>**

वित्तीय वर्ष 2013-14 के असम्परीक्षित लेखों के अनुसार माह 31/03/2014 तक संचित लाभ ₹ 140 करोड़ है ।

<u>सेतु निगम की आख्या</u>

- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की स्थापना कम्पनी अधिनियम -1956 के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.03.1973 को हुई थी तथा स्थापना से अब तक सेतु निगम उत्तर प्रदेश, देश एवं विदेश में लगभग 2050 सेतुओं का निर्माण पूर्ण कर चुका है।

- वर्तमान में निगम में 255 सेतु स्वीकृत है जिनकी कुल लागत ₹ 6137.17 करोड़ हैं। इन कार्यों पर वर्ष 2014-15 में माह 05/2014 तक ₹ 168.27 करोड़ का व्यय हो चुका है।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 90 सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया गया है।

- वर्ष 2013-14 में मार्च, 2014 तक कुल 112 कार्य, लागत ₹ 2435.99 करोड़ के स्वीकृत हुये है, जिसमें से राज्य योजना के 38, राज्य योजना (अनुदान-58) के 5, रेलवे सुरक्षा निधि के 28, नाबार्ड योजना के 27, व्यापार विकास निधि के 3, त्वरित आर्थिक विकास योजना के 3, विश्व बैंक पोषित (लो0नि0वि0) के 1 एंव अन्य निक्षेप योजना के 7 कार्य सम्मिलित हैं। इन सभी कार्यों को चरणबद्ध रूप से आरम्भ कर दिया गया है अथवा शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा।

- वर्ष 2014-15 में लक्षित सेतुओं में से 01 सेतु राज्य योजना एवं 02 अन्य सेतु, अन्य निक्षेप योजना के माह मई 2014 तक पूर्ण कर लिये गये हैं।

- वर्ष 2013-14 तक निगम लगभग ₹ 140.00 करोड़ के संचित लाभ में है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया था। उस समय इस निगम को प्रदत्त अंशपूँजी, मात्र ₹ 5.00 लाख थी जिसे वर्ष 1977 तक बढ़ाकर ₹ 100.00 लाख कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंश पूँजी वर्तमान में ₹ 500.00 लाख है।

1. निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्यः-

प्रदेश एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण, बैराज, डैम्स्, एक्वाडक्ट, कल्वर्टस, रोपवेज का निर्माण, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्स्टालेशन, औद्योगिक परियोजनायें (तापीय विद्युत गृहों, कताई मिल, चीनी मिल, प्रासेस फैक्ट्री आदि) का कार्य तथा नगरों एवं गॉवों के विकास कार्यों के अर्न्तगत माध्यमिक स्कूल, डिग्री कालेज, मेडिकल कालेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, स्टेडियम आदि के निर्माण में सहभागिता निभाना है।

उपरोक्त के अलावा निगम राज्य सरकार की सड़कों एवं भवनों के निर्माण व अनुरक्षण आदि का कार्य भी कराता है, ताकि आधुनिक प्रबन्धन प्रणाली से इनका निर्माण/अनुरक्षण हो सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में **मितव्ययता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता** के साथ-साथ पारदर्शिता है।

इसी कम में, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित मजदूरी एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

2- निगम की कार्य प्रणालीः-

निगम द्वारा मुख्यतः समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे ईंट, लोहा, सीमेन्ट का कय, सीधे निर्माताओं से किया जाता है व अन्य निर्माण सामग्री भी प्रतिष्ठित उत्पादकों/अधिकृत वितरकों से कय की जाती है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों (पी0आर0डब्लू0) के माध्यम से किये जाते है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त देश के लगभग समस्त राज्यों में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। निगम की अपनी उच्च कोटि की गुणवत्ता के कारण आई0एस0ओ0 9001 : 2008 प्रमाणित संस्था है।

3- संगठनात्मक ढॉचाः-

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु, इसे 15 कार्यकारी अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 119 कार्यकारी इकाईयॉ कार्यरत है। मुख्यालय पर तकनीकी एवं वित्तीय समन्वय हेतु वास्तुविदीय विंग, परिकल्पना विंग, वित्त एवं लेखा विंग, वाणिज्य विंग, संविदा विंग, कार्मिक विंग, यांत्रिक विंग एवं विद्युत विंग स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक विंग का संचालन महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

4- विगत वर्षों की उपलब्धियॉ

विगत तीन वर्षों में निर्माण निगम द्वारा किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्न प्रकार रही :-

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ ₹ में)	उपलब्धि (करोड़ ₹ में)
2011-2012	4000.00	3784.86
2012-2013	4000.00	2510..00
2013-14	4000.00	3426.73

5- वित्तीय वर्ष 2014-2015 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण -

वित्तीय वर्ष 2014-15 में निर्माण निगम द्वारा ₹ 4150.00 करोड़ के कार्य सम्पादन कर लक्ष्य रखा गया है। जिसके सापेक्ष माह अप्रैल 2014 तक ₹ 150.15 करोड़ के कार्य सम्पादित कराये जा चुके है। निर्माणाधीन कार्यों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा, खेल विभाग, न्याय विभाग आदि के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त ई0एस0आई0 तथा सूडा के कार्य है। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न 28 विभागों के कुल 853 नं0 कार्य प्रगति में है तथा अन्य प्रदेशों में कुल 519 कार्य प्रगति में है:-

6- वित्तीय वर्ष 2013-2014 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरण:-

चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 4542.00 करोड़ के कार्य अर्जित किये गये है तथा भविष्य में लगभग ₹ 7600 करोड़ के कार्य अर्जन की संम्भावना है।

7- लागत में नियन्त्रण

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट व स्टील की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। अन्य निर्माण सामग्री का क्रय विशिष्टियों के अनुसार इकाई स्तर पर सम्बन्धित अंचलीय महाप्रबन्धक के अनुश्रवण में किया जाता है। विशिष्टि आईटम जैसे लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर आदि हेतु सीधे सम्बन्धित कम्पनी से आपूर्ति कराई जाती है।

8- गुणवत्ता नियन्त्रण

निर्माण निगम द्वारा कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से, कार्य स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये निगम आई0एस0ओ0 : 9001-2008 के अर्न्तगत प्रमाणित है। थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण की प्रकिया लागू की जा चुकी है। आई0आई0टी0 अथवा अन्य प्रतिशिष्टित इन्जीनियरिंग संस्थाओं से भी विशेषज्ञों द्वारा कार्यस्थलों पर निरीक्षण करके गुणवत्ता देखी जाती है।

9- कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा/अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, मुख्यालय (व्यवस्थापन हेतु) अंचलीय कार्यालयों एवं इकाईयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कार्यो की प्रगति पोर्टल सिस्टम के माध्यम से प्राप्त की जा रही है, इकाई स्तर पर डाटा-इन्ट्री करते हुए अंचल एवं मुख्यालय स्तर पर निर्धारित प्रपत्रों पर संकलित आख्या उपलब्ध कराने हेतु उच्चीकृत साफ्टवेयर का कार्य किया जा रहा है। कार्य की प्रगति एवं बारचार्ट ई-मेल से प्राप्त किये जाते है एवं दिशा निर्देश दिए जाते हैं।

उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन अधिनियम सं0-19, सन् 2004 द्वारा किया गया था। इसका गठन राज्य राजमार्गो के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को गतिशीलता देने उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1988 से आधार पर किया गया था। प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण पी0पी0पी0 या अन्य पद्धति से कराया जाना है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014-15 में निम्न विवरण के अनुसार निजी विकासकर्ताओं के साथ किये गये अनुबन्धों पर कार्य किया जा रहा है:-

क. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी0)	परियोजना (₹ करोड़ में)	कंसेशन अनुबन्ध की तिथि	विकासकर्ता का नाम
1	दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री मार्ग (एस.एच.-57)	206.089	1718.35	01.08.2011	मेसर्स एस.ई.डब्लू.- प्रसाद कंसोर्शियम इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 हैदराबाद
2	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग (एस.एच.-37)	54.00	354.07	11.08.2011	मेसर्स पी.एन.सी. इंफ्राटेक लि0, आगरा
3	बाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.-5ए)	115.00	1211.96	08.12.2011	मेसर्स एप्को-चेतक-पटेल (जे.वी.), लखनऊ
	कुल	**375.089**	**3284.380**		

निम्न 07 राज्य राजमार्गों का सार्वजनिक निजी सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराने के निजी विकासकर्ता के चयन सम्बन्धी वित्तीय निविदा (आर0एफ0पी0) दिनांक 15.07.2014 को आमंत्रित की गयी है:-

क. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत में (₹ करोड़ में)
1	मुजफ्फर नगर-सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59)।	52.70	752.88
2	एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85)।	51.42	344.61
3	अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80)।	39.46	384.81
4	अकबरपुर-जौनपुर-मिर्जापुर-दुद्धी मार्ग (एस0एच0-5)।	237.16	1687.00
5	शाहजहॉपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग (एस0एच0-25)।	162.40	1161.62
6	ताड़ीघाट-बारा मार्ग (एस0एच0-99)।	39.20	175.86
7	बलरामपुर-गोण्डा-जरवल मार्ग (एच0एच0-1ए)	88.00	693.82
	कुल	**670.34**	**5200.60**

इसके अतिरिक्त प्रदेश के निम्न 16 मार्गों के उच्चीकरण/अनुरक्षण हेतु फीजिबिलिटी अध्ययन कराये जाने के लिए परामर्शी चयन की कार्यवाही की जा रही है:-

क. सं.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	विकास का स्तर	एस0एच0 डी0पी0 फेज
1	गढ़-मेरठ-बागपत-सोनीपत मार्ग (एस.एच.-14)	90.42	4-लेन	2
2	सीतापुर-लखीमपुर-पलिया-दुधवा मार्ग (एस.एच.-90 + एस.एच.-21)	120.00	4-लेन	3

3	विढ़मगंज-कोन-कोटा-चोपन मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग)	60.00	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	3
4	महाराजगंज-निचलौन-थूठीबाड़ी मार्ग	42.00	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	3
5	मुरादाबाद-धामुपर-बिजनौर (एस.एच.-49)	110.00	4-लेन	4
6	बलिया-मऊ-आजमगढ़ (एस.एच.-34)	100.00	4-लेन	4
7	देवरिया-गोरखपुर (एस.एच.-1)	45.00	4-लेन	4
8	मोहनलालगंज-मौरावां-उन्नाव मार्ग (अन्य जिला मार्ग-52 सी)	69.74	4-लेन	5
9	बिजनौर-छजलैट-मार्ग (एस.एच.-76)	57.30	4-लेन	5
10	पानीपत-खटिपा मार्ग (एस.एच.-12)	146.98	4-लेन	5
11	पुखरायॉ-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस.एच.-46)	83.66	4-लेन	5
12	अलीगढ़-टप्पल मार्ग (एस.एच.-22ए)	65.24	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
13	बिजनौर-गजरौला मार्ग (एस.एच.-51)	66.00	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
14	इलाहाबाद-गोरखपुर से दोहरीघाट तक मार्ग (एस.एच. -7 एवं एस.एच.-66)	165.45	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
15	देवरिया वाया सलेमपुर मार्ग	92.00	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
16	शिकोहाबाद-भगावन-मैनपुरी मार्ग (एस.एच.-084)	61.80	2-लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
	कुल	1375.59		

वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपशा को सहायक अनुदान के रूप में आयोजनागत मद में अनुपूरक सहित कुल ₹ 150.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपशा को सहायक अनुदान के रूप में ₹ 200.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

वर्ष 2013–14 में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धि

क्रम संख्या	फेज संख्या	स्वीकृति के सापेक्ष 31.03.2014 तक पूर्ण एवं निरस्तीकरण के पश्चात् वर्ष 2014–15 में अवशेष				वर्ष 2014–15 में वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य				वर्ष 2014–15 में दिनांक 30.04.2014 तक वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि				वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य				टिप्पणी
		मार्गों की संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	धनराशि (रू0 करोड़ में)	बसावटों की संख्या	मार्गों की संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	धनराशि (रू0 करोड़ में)	बसावटों की संख्या	मार्गों की संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	धनराशि (रू0 करोड़ में)	बसावटों की संख्या	मार्गों की संख्या	लम्बाई (किमी0 में)	धनराशि (रू0 करोड़ में)	बसावटों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	फेज–3 से 8 (नव–सम्पर्कता)	8	7.51	5.00	21	4	1.9	1.65	4	1	0.00	0	1	4	5.61	3.35	4	
2	फेज–3 से 8 (अपग्रेडेशन)	4	3.75	4.57		4	3.75	4.57						0	0.00	0.00	0	
	योग फेज–3 से 8 (नव–सम्पर्कता एवं अपग्रेडेशन)	**12**	**11.26**	**9.57**	**21**	**8**	**5.65**	**6.22**	**4**	**1**	**0.00**	**0.00**	**1**	**4**	**5.61**	**3.35**	**4**	
3	फेज–9 (विश्व बैंक) "नव–सम्पर्कता"	171	276.86	114.22	347	158	254.42	103.6	165	12	19.38	0.14	14	13	22.44	10.62	16	
4	फेज–10 (विश्व बैंक) "नव–सम्पर्कता"	457	777.52	294.74	598	398	684.41	244.81	417	10	44.23	0.08	25	59	93.11	49.92	65	
5	**योग फेज–9 एवं फेज–10 (नव–सम्पर्कता)**	**628**	**1054.38**	**408.96**	**945**	**556**	**938.83**	**348.41**	**582**	**22**	**63.61**	**0.22**	**39**	**72**	**115.55**	**60.54**	**81**	
6	फेज–10 (विश्व बैंक) "अपग्रेडेशन"	191	1416.88	419.41	0	163	1217.75	351.78	0	7	159.66	0.48	0	28	199.13	67.63	0	
7	फेज–10 (सामान्य) "अपग्रेडेशन"	320	1747.57	510.63	0	280	1564.6	462.43	0	1	55.41	0.55	0	40	182.97	48.20	0	
	योग फेज–10 (विश्व बैंक) एवं फेज–10 (सामान्य) "अपग्रेडेशन"	**511**	**3164.45**	**930.04**	**0**	**443**	**2782.35**	**814.21**	**0**	**8**	**215.07**	**1.03**	**0**	**68**	**382.1**	**115.83**	**0**	
	महायोग	**1151**	**4230.09**	**1348.57**	**966**	**1007**	**3726.83**	**1168.84**	**586**	**31**	**278.68**	**1.25**	**40**	**144**	**503.26**	**179.72**	**85**	

वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्राविधान, जारी स्वीकृतियॉ, भौतिक व वित्तीय प्रगति का विवरण

आयोजनागतः–

दि0 31.03.2014 तक

(धनराशि रू. करोड़ में)

क0 सं0	मद का नाम	अनुदान सं0	वर्ष 13–14 हेतु बजट प्राविधान अनुपूरक सहित	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	विभागाध्यक्ष द्वारा अवमुक्त धनराशि	माह 03. 2014 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि (कि. मी. में) माह 03/14 तक	वर्ष में जोड़े गये बसावटों की सं0	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**ग्रामीण मार्गों का निर्माण**								
	जिला योजना, मिसिंग लिंक योजना एवं व्यापार विकास निधि	58	440.8534	440.8534	436.9103	436.9103	1712		
	डा0 राममनोहर लोहिया समग्र योजना	58	656.5319	656.5319	656.2109	656.2109	1627		
	नक्सल योजना	58	34.8424	34.8424	34.8424	34.8424	150		
	आर0आई0डी0एफ0 योजना	58	263.0400	263.0400	263.0400	263.0400	915		
	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	83	437.7643	386.4214	386.4600	372.0063	972		
	योग ग्रामीण मार्गों का निर्माण		**1833.0320**	**1781.6891**	**1777.4636**	**1763.0099**	**5376**		
2	**ग्रामीण मार्गों का पुर्ननिर्माण**	**58**	**98.1444**	**98.1444**	**98.0155**	**94.5117**			
3	**मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण**								
	राज्य योजना	58	1223.1216	1223.1216	1216.9716	1216.9716	1015		
	जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्गो से जोड़ा जाना	58	298.0000	298.0000	298.0000	298.0000	1		
	तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोडने वाले मार्गो का चौडीकरण/सुदृढ़ीकरण	58	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000			
	आर0आई0डी0एफ0 मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण	58	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0		
	राज्य सड़क निधि	58	1326.0000	1325.9599	1325.9599	1325.9599	1472		
	एस0आर0पी0–2 के अवशेष कार्य	58	65.3600	65.3600	65.3600	65.3600			
	केन्द्रीय मार्ग निधि/इन्टर स्टेट कनेक्टिविटी	58	231.1989	231.1989	231.1989	231.1989	305		
	इन्डो नेपाल बार्डर पर मार्गो का चौडीकरण/सुदृढ़ीकरण (तेरहवॉ वित्त आयोग)	58	62.5000	59.9537	59.9537	59.9500			
	योग मार्गो का चौ0/सु0		**3241.6305**	**3239.0441**	**3232.8941**	**3232.8904**	**2793**		
4	भूमि अध्याप्ति	58	131.6250	131.6250	105.6250	105.6250			
5	एक लाख से अधिक आबादी के शहरों में बाईपास का निर्माण	58	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	67		
6	इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग का निर्माण	58	117.6100	117.6100	117.6100	117.6100			
7	उपसा को सहायता	58	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000			
8	अन्य विविध मदें (जैसे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, सूचना प्रौधोगिकी, अनुसंधान, डिकीटल मदें, क्षतिपूरकवनीकरण)	58 & 54	49.6220	46.6904	38.9159	38.8532			
9	**सेतुओं का निर्माण**	**57**	**1343.2934**	**1343.2934**	**1343.2934**	**1343.2934**	**154 सं0**		
10	**पूर्वाचल/बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं**	**56 & 83**	**475.0000**	**475.0000**	**470.5584**	**451.1543**	**223**		
11	**मदन**	**55**	**49.5000**	**49.5000**	**47.6710**	**47.6710**			
	योग आयोजनागतः–		**7529.4573**	**7472.5964**	**7422.0469**	**7384.6189**	**8459+154 सं0**	**0**	

वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट प्राविधान, जारी स्वीकृतियॉ, भौतिक व वित्तीय प्रगति का विवरण

आयोजनेत्तरः–

दि0 31.03.2014 तक

(धनराशि रू. करोड़ में)

क0 सं0	मद का नाम	अनुदान सं0	वर्ष 13–14 हेतु बजट प्राविधान अनुपूरक सहित	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	विभागाध्यक्ष द्वारा अवमुक्त धनराशि	माह 03. 2014 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि (कि. मी. में) माह 03/14 तक	वर्ष में जोड़े गये बसावटों की सं0	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सामान्य अनुरक्षण से मार्गो की पैचमरम्मत	58	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000	64319		
2	सामान्य अनुरक्षण से मार्गो की विशेष मरम्मत						2738		
3	राज्य सड़क निधि से मार्गो की विशेष मरम्मत	58	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000	1100		
4	राज्य सड़क निधि से नवीनीकरण	58					5471		
5	तेरहवें वित्त आयोग से मार्गो का नवीनीकरण	58	732.0000	732.0000	732.0000	732.0000	6117		
6	अन्य विविध मदें	58	4.2062	4.1561	4.1559	4.1559			
7	सेतुओं का अनुरक्षण	57	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000			
8	भवनों का अनुरक्षण	55	69.0622	69.0561	67.9450	67.9450			
	योग आयोजनेत्तरः–		**2142.2684**	**2142.2122**	**2141.1009**	**2141.1009**	**79745**	**0**	
	योग आयोजनागत + आयोजनेत्तर		**9671.7257**	**9614.8086**	**9563.1478**	**9525.7198**	**88304+154नं0**	**3288**	

तालिका-''क'' (1)

अनुदान संख्या-54

लो0नि0वि0 कार्य की सूचना

उद्देशानुसार वर्गीकरण (लेखाशीर्षक 2059)

धनराशि रू0 लाख में

कम सं0	उपशीर्षक	वास्तविक व्यय 2012-13			आय व्ययक अनुमान 2013-14			पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान (2013-14)			आय व्ययक अनुमान 2014-15		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(1) अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य/ आयोजनेत्तर/ आयोजनागत लघुशीर्षक 80 सामान्य उपशीर्षक 001-निदेशन तथा प्रशासन (सारांश)	03 निदेशन (आयोजनेत्तर)	0.00	7914.08	7914.08	0.00	9374.82	9374.82	0.00	9465.32	9465.32	0.00	10572.07	10572.07
	04 कार्यकारी (आयोजनेत्तर)	0.00	136376.97	136376.97	0.00	149014.25	149014.25	0.00	149339.25	149339.25	0.00	167732.66	167732.66
	0502-मजदूरी (आयोजनेत्तर)	0.00	2757.44	2757.44	0.00	3000.00	3000.00	0.00	2584.50	2584.50	0.00	2000.00	2000.00
	04 कार्यकारी (एस0आर0पी0-2) के अन्तर्गत गठित पर्यावरण एवं सामाजिक विकास सेल, आई0टी0पैनेजमेन्ट सेल एवं प्रोजेक्ट पॉलिसी एण्ड प्लानिंग सेल कार्यो हेतु परिचालन व्यय)	16.34	0.00	16.34	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	18.50	0.00	18.50
	003- प्रशिक्षण (आयोजनेत्तर)	0.00	37.92	37.92	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00
	004- आयोजना तथा अनुसंधान (आयोजनागत)	164.19	0.00	164.19	202.76	0.00	202.76	202.76	0.00	202.76	228.92	0.00	228.92
	05- लोक निर्माण विभाग से आवश्यकता से अधिक(सरप्लस) कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय के लिये (आयोजनेत्तर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02
	मतदेयः-	180.53	147088.41	147268.94	230.96	161439.09	161670.05	230.96	161439.09	161670.05	247.42	180404.75	180652.17
	भारितः-	0.00	2.40	2.40	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00
	महायोगः-	180.53	147088.81	147269.34	230.96	161443.09	161674.05	230.96	161443.09	161674.05	247.42	180408.75	180656.17

तालिका-''क'' (2)

अनुदान संख्या-55

लोक निर्माण विभाग (भवन निर्माण)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्यकलापों का वर्गीकरण

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम	कार्यक्रम	भारसाधित व्यय (2012-13)			आय-व्ययक अनुमान (2013-2014)			पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान (2013-14)			आय-व्ययक अनुमान (2014-2015)		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	राज भवन												
(अ)	मूल निर्माण (4059)	-	72.00	72.00	-	72.00	72.00	-	72.00	72.00	-	72.00	72.00
(ब)	अनुरक्षण (2059)	-	220.52	220.52	-	226.14	226.14	-	249.55	249.55	-	256.04	256.04
(स)	योग (भारित)		**292.52**	**292.52**	**0.00**	**298.14**	**298.14**	**0.00**	**321.55**	**321.55**	**0.00**	**328.04**	**328.04**
2	अनावासीय भवन (मतदेय)												
(अ)	निर्माण (4059)	2600.00	92.00	2692.00	2980.00	92.00	3072.00	3430.00	92.00	3522.00	1900.00	90.00	1990.00
(ब)	अनुरक्षण और मरम्मत (2059)		3087.05	3087.05	-	3438.50	3438.50	-	3438.50	3438.50	-	3900.50	3900.50
(स)	योग (मतदेय)	**2600.00**	**3179.05**	**5779.05**	**2980.00**	**3530.5**	**6510.50**	**3430.00**	**3530.5**	**6960.5**	**1900.00**	**3990.5**	**5890.50**
	अना0 कुल योग (अनु0सं0-55)	**2600.00**	**3471.57**	**6071.57**	**2980.00**	**3828.64**	**6808.64**	**3430.00**	**3852.05**	**7282.05**	**1900.00**	**4318.54**	**6218.54**
3	अनावासीय भवन (भारित) राजभवन												
(अ)	मूल निर्माण (भारित)(4216)	-	33.00	33.00	-	33.00	33.00	-	33.00	33.00	-	39.00	39.00
(ब)	अनुरक्षण (भारित)(2216)	-	44.82	44.82	-	46.17	46.17	-	46.17	46.17	-	53.63	53.63
(स)	योग (भारित)	**-**	**77.82**	**77.82**		**79.17**	**79.17**	**0.00**	**79.17**	**79.17**		**92.63**	**92.63**
4	अनावासीय भवन (मतदेय)												
(अ)	निर्माण (4216)	1400.00	-	1400.00	1520.00	-	1520.00	1520.00	-	1520.00	2100.00	-	2100.00
(ब)	अनुरक्षण और मरम्मत (2216)	-	2769.88	2769.88	-	2975.00	2975.00	-	2975.00	2975.00	-	3320.00	3320.00
(स)	योग (मतदेय)	**1400.00**	**2769.88**	**4169.88**	**1520.00**	**2975.00**	**4495.00**	**1520.00**	**2975.00**	**4495.00**	**2100.00**	**3320.00**	**5420.00**
	आवा0 कुलयोग (अनु0सं0-55)	**1400.00**	**2847.70**	**4247.70**	**1520.00**	**3054.17**	**4574.17**	**1520.00**	**3054.17**	**4574.17**	**2100.00**	**3412.63**	**5512.63**
	महायोग अनुदान (सं0-55)	**4000.00**	**6319.27**	**10319.27**	**4500.00**	**6882.81**	**11382.81**	**4950.00**	**6906.22**	**11856.22**	**4000.00**	**7731.17**	**11731.17**

तालिका-''क'' (3)

अनुदान संख्या-56

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्य क्लापों का वर्गीकरण

धनराशि रू0 लाख में

क्रम सं.	कार्यक्रम	वास्तवित व्यय 2012-13			आय व्ययक अनुदान 2013-14			पुनरीक्षित आय व्ययक अनुमान 2013-14			आय व्ययक अनुमान 2014-15		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पुजीलेखा 4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	18644.97	0.00	18644.97	19500.00	0.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00	19500.00	0.00	19500.00
2	पूजीलेखा 4575 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (13वॉ वित्त आयोग से सड़क संयोजकता में सुधार)	7500.00	0.00	7500.00	7500.00	0.00	7500.00	15000.00	0.00	15000.00	7500.00	0.00	7500.00
	महायोग:-	26144.97	0.00	26144.97	27000.00	0.00	27000.00	34500.00	0.00	34500.00	27000.00	0.00	27000.00

तालिका-"क" (4)
अनुदान संख्या-57
लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)
वित्तीय आवश्यकतायें कार्य क्लापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम सं.	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2012-13			आय व्ययक अनुमान 2013-14			पुनरीक्षित आय-व्यय अनुमान 2013-14			आय व्ययक अनुमान 2014-15		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[illegible] 3054 सड़कों तथा सेतु	0.00	1600.00	1600.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	1700.00
2	पुजीलेखां 5054 सड़कों तथा सेतुओं का पुंजीगत परिव्यय	118565.79	0.00	118565.79	109329.34	0.00	109329.34	134329.34	0.00	134329.34	122245.72	0.00	122245.72
	महायोगः-	118565.79	1600.00	120165.79	109329.34	1700.00	111029.34	134329.34	1700.00	136029.34	122245.72	1700.00	123945.72

तालिका-''क'' (5)
अनुदान संख्या-58
लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)
वित्तीय आवश्यकतायें कार्य क्लापों का वर्गीकरण

धनराशि रू0 लाख में

क्रम सं.	कार्यक्रम	वास्तवित व्यय 2012-13			आय व्ययक अनुदान 2013-14			पुनरीक्षित आय व्ययक अनुमान 2013-14			आय व्ययक अनुमान 2014-15		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3054 सड़क तथा सेतु (राजस्व)												
	(मतदेय)	0.00	179763.24	179763.24	0.00	195610.62	195610.62	0.00	205610.62	205610.62	0.00	239836.02	239836.02
	(भारित)	0.00	1.19	1.19	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
2	5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय												
	(मतदेय)	339482.34	0.00	339482.34	427615.00	5.00	427620.00	515385.39	5.00	515390.39	625040.81	5.00	625045.81
	(भारित)	191.13	0.00	191.13	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	600.00	0.00	600.00
	महायोग:-	339673.47	179764.43	519437.90	428165.00	195620.62	623785.62	515935.39	205620.62	721556.01	625640.81	239846.02	865486.83

<u>नोट:-</u> राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत अर्न्तखा संकमण की धनराशि उक्त सूचना में सम्मिलित नहीं है।

तालिका-''क'' (6)

अनुदान संख्या-83

लोक निर्माण विभाग (संचार सड़कें एवं अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्यकलापों का वर्गीकरण

धनराशि रू0 लाख में

क्रम सं.	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय (2012-13)			आय-व्ययक अनुमान (2013-2014)			पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान (2013-14)			आय-व्ययक अनुमान (2014-2015)		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पूंजी लेखा 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	10619.02	0.00	**10619.02**	13000.00	0.00	**13000.00**	13000.00	0.00	**13000.00**	13000.00	0.00	**13000.00**
2	पूंजी लेखा 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	49190.81	0.00	**49190.81**	50000.010	0.00	**50000.01**	50000.04	0.00	**50000.04**	86241.26	0.00	**86241.26**
	महायोगः-	**59809.83**	**0.00**	**59809.83**	**63000.010**	**0.00**	**63000.01**	**63000.04**	**0.00**	**63000.04**	**99241.26**	**0.00**	**99241.26**

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन (उत्तरांचल गठन के बाद की स्थिति)

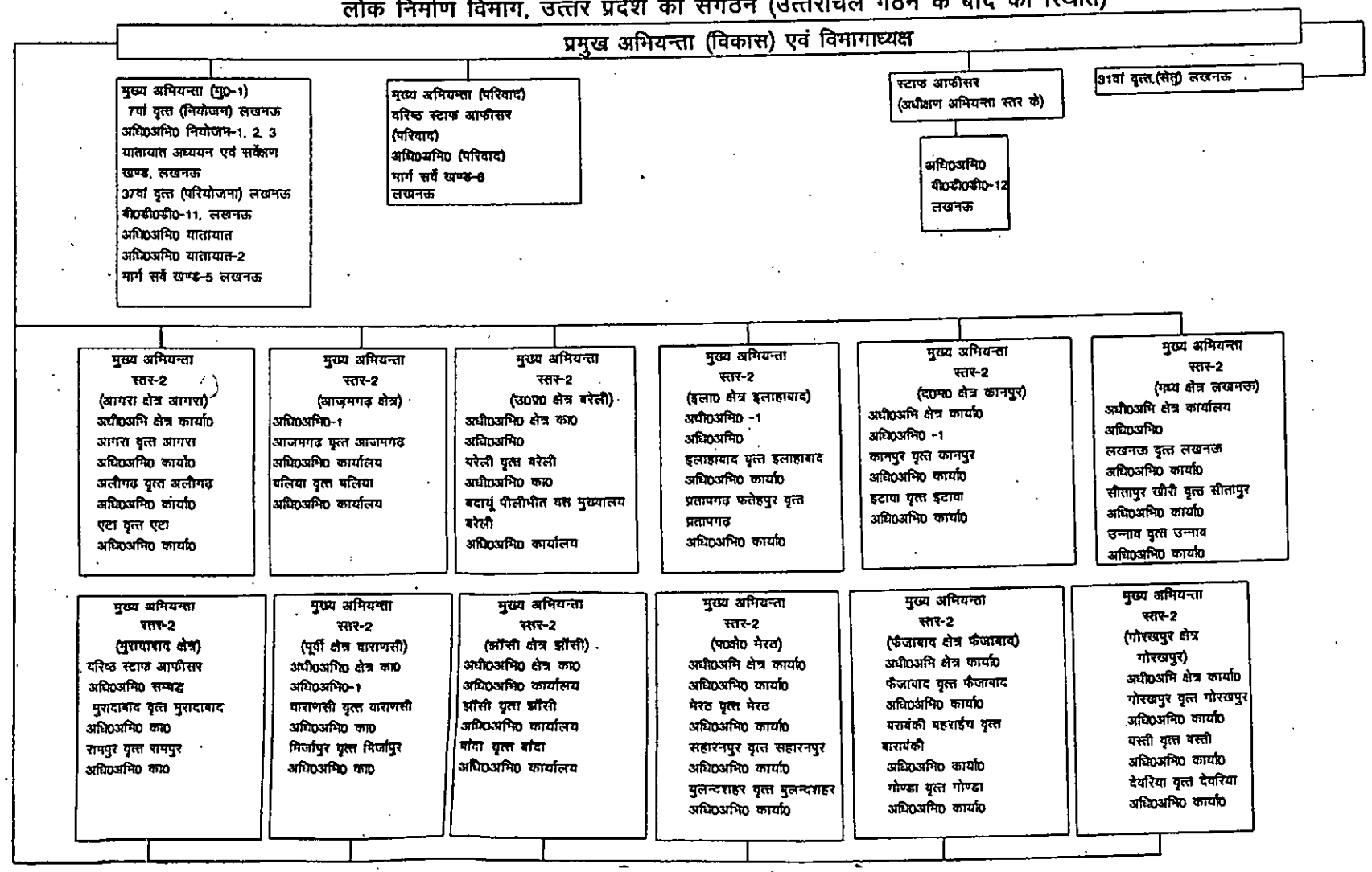

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन (उत्तरांचल गठन के बाद की स्थिति)

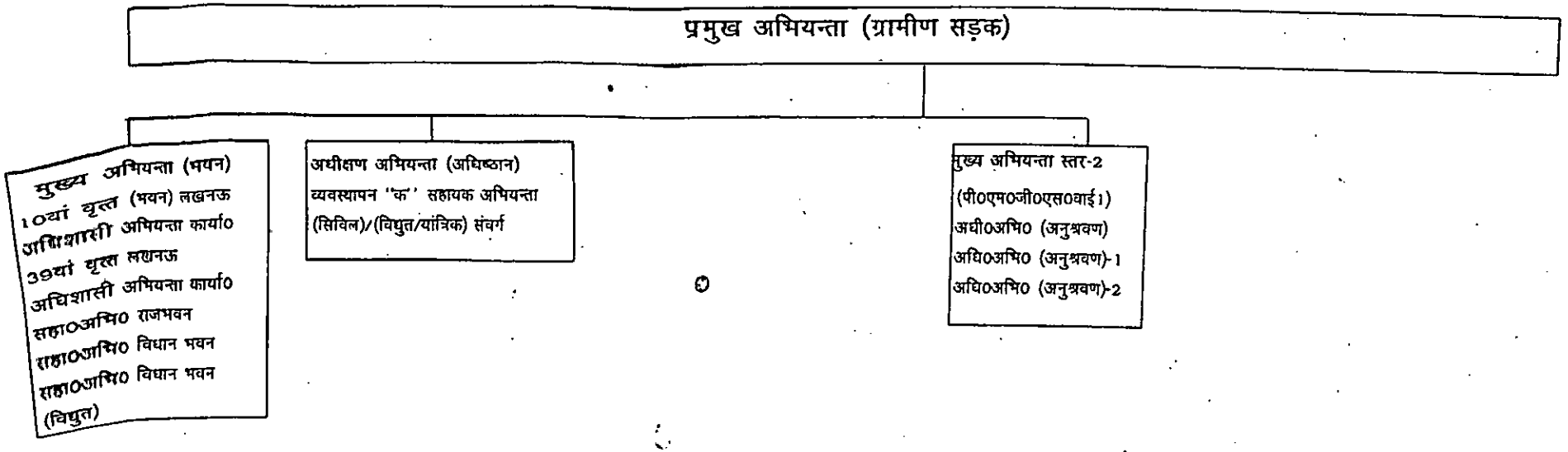

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन (उत्तरांचल गठन के बाद की स्थिति)

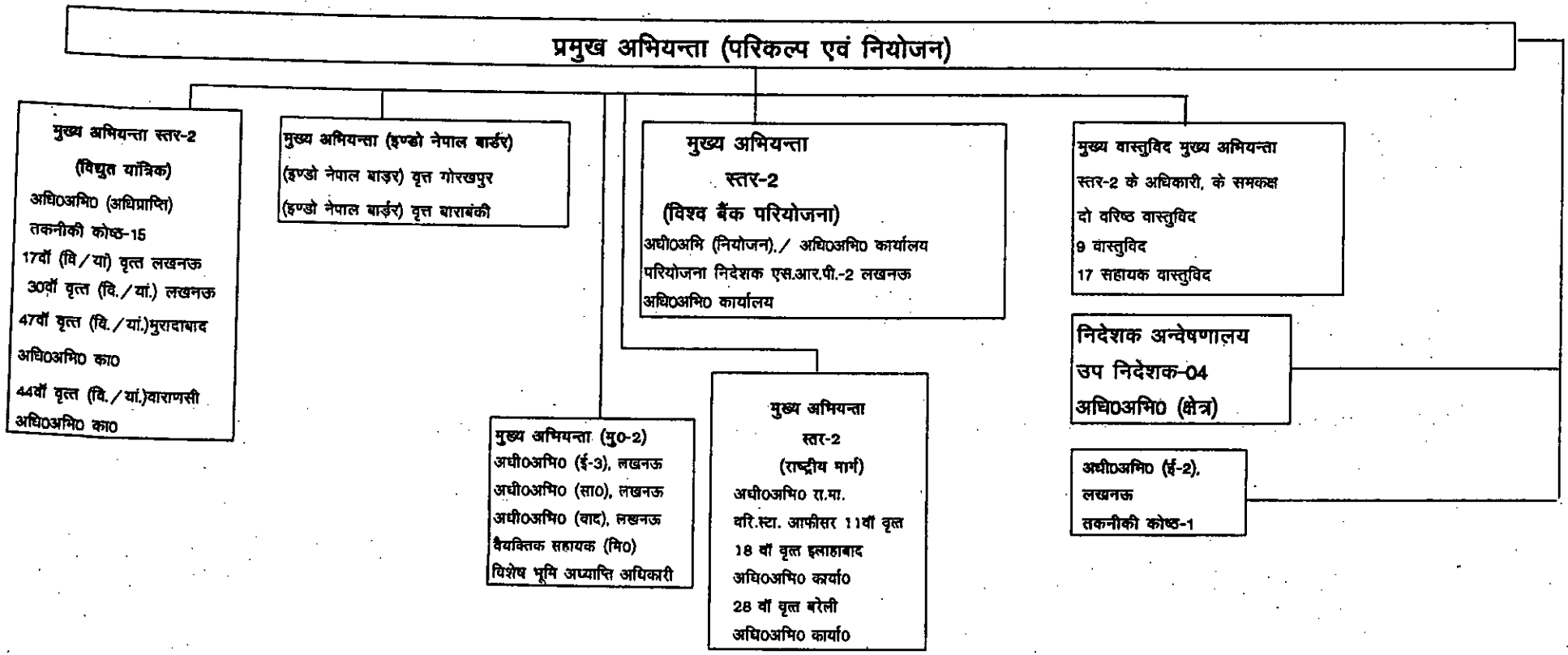

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 लोक निर्माण–26.06.2014–(429)–1400 प्रतियां (आफसेट)।